विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009
Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / 2026 / 04 रायपुर, दिनांक 08 APR 2026

प्रति,

1. मेसर्स संजय इण्डस्ट्रीज,
   प्रो0 श्री मोरजध्वज साहू,
   ग्राम आमदी, तहसील अभनपुर,
   जिला रायपुर (छ.ग.)

2. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग,
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., न0राजिम (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 02 / रायपुर(ग्रा.) / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (संचा / संधा) वृत्त छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि. रायपुर (छ.ग.)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– विद्युत बिल सुधार हेतु बाबत् ।

प्रकरण क्रमांक / 02 / रायपुर(ग्रा.) / 2026

मेसर्स संजय इण्डस्ट्रीज, ...आवेदक
प्रो0 श्री मोरजध्वज साहू,
ग्राम आमदी, तहसील अभनपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.)
मों.नं. – 96444–90111

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग, ...उत्तरवादी
छ.स्टे. पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., न0राजिम (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 08 / 04 / 2026 को घोषित)

1. आवेदक मेसर्स संजय इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 10.03.2026 यह है कि "निवेदन है कि मेरे इकाई मेसर्स संजय इण्डस्ट्रीज, ग्राम आमदी, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर जिसका बी.पी.नं. 1006516064 है । जिसके विद्युत बिल में ऑडिट चार्ज के रूप में अलग–अलग तिथि में राशि 10922, 16884, 4415, 28409, 30000 लगभग की राशि विद्युत बिल में जोड़ा गया है जिसका मुझे विस्तृत जानकारी नहीं दिया गया है एवं माह सितम्बर 2025 के बिल में न्यूनतम मांग प्रभार 14400 दिया गया है जो गलत है । जिसकी शिकायत मेरे द्वारा विद्युत कार्यालय खोरपा एवं नयापारा में किया गया फिर भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुआ एवं लिखित शिकायत दिनांक 26.12.2025 को किया गया । उसके बाद भी बिल सुधार नहीं किया गया तथा बार–बार जे.ई. खोरपा के द्वारा विद्युत भुगतान नहीं किया जाने के कारण लाईन काट दिया जाता है एवं आज दिनांक 10.03.2026 को फिर से लाईन काट दिया गया है चूँकि बिल सुधार नहीं होने के कारण बिल भुगतान नहीं किया जा पाया है । अतः निवेदन है कि जल्द से जल्द विद्युत बिल की त्रुटि सुधार किया जावे जिससे मैं समय पर विद्युत बिल का भुगतान कर संकू ।"

2. यह कि अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., न0राजिम ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 6066 दिनांक 16.03.2026 को सूचित किया है कि :–

(i) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2020–21 से वर्ष 2023–24 तक गलत टैरिफ के फलस्वरूप आंतरिक अंकेक्षण के विरूद्ध अतिरिक्त मांग किया गया है ।

(ii) उपभोक्ता को इस कार्यालय में दिनांक 10.03.2026 को आंतरिक अंकेक्षण एवं वर्तमान देयक के संबंध में समस्त जानकारी प्रदान किया गया साथ ही उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान किश्तों में करने का मांग किये जाने पर किश्त में भुगतान का सुविधा प्रदान किया गया है, जिस पर आवेदक द्वारा संतुष्टि पत्र प्रदान किया गया है जो कि संलग्न है ।

अतः प्रकरण निराकरण हेतु सादर प्रेषित है विद्युत कंपनी हेतु उपभोक्ताओं की सुविधा ही सर्वोपरि है । उपभोक्ता संतुष्टि के तारतम्य में जवाबदावा सादर प्रस्तुत है ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :–

3. यह कि ग्राम आमदी, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर स्थित आवेदक के परिसर में मेसर्स संजय इंडस्ट्रीज प्रो. मोरध्वज साहू के नाम पर औद्योगिक श्रेणी का 150 अश्वशक्ति भार का विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1006516064 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है । आवेदक के अनुसार उत्तरवादी द्वारा प्रेषित मासिक देयकों के माध्यम से विभिन्न तिथियों में आडिट राशि के नाम पर अलग अलग राशि जोड़कर प्रेषित की जाती रही है जिसके बारे में उसे किसी प्रकार की विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की गयी है । आवेदक के अनुसार उसके माह सितंबर 2025 में न्यूनतम मांग प्रभार मद में राशि 14400.00 दर्ज करते हुए देयक प्रेषित किया गया है जो कि सही नहीं है । आवेदक द्वारा अपने देयक में संशोधन किए जाने के संबंध में उत्तरवादी के कार्यालय में दिनांक 26.12.2025 को लिखित शिकायत की गयी लेकिन उत्तरवादी द्वारा उसके देयक में किसी प्रकार का संशोधन न करते हुए बार–बार उसकी विद्युत लाईन को विच्छेदित कर दिया जाता है । दिनांक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर (ग्रामीण)

10.03.2026 को पुनः उत्तरवादी द्वारा उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया है ।

4. यह कि विस्तृत जानकारी दिए बगैर ही नियमित मासिक देयकों में आडिट राशि के नाम पर अतिरिक्त राशि जोड़कर प्रेषित किए जाने एवं देयक में संशोधन के अपने आवेदक पर किसी प्रकार की कार्यवाही न करते हुए विद्युत लाईन विच्छेदित किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर एवं अविलंब विच्छेदित विद्युत लाईन को संयोजित करते हुए आडिट राशि के नाम पर जोडी गयी अतिरिक्त राशि की विस्तृत जानकारी प्रदान किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 6066 दिनांक 16.03.2026 के माध्यम से प्रस्तुत जवाबदावा में लेख किया गया है कि आडिट दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक की अवधि के लिए आवेदक के विद्युत कनेक्शन की बिलिंग गलत टैरिफ से किए जाने के आधार पर अतिरिक्त राशि निकाली गयी है । दिनांक 10.03.2026 को आवेदक को कार्यालय में उसकी आडिट राशि एवं वर्तमान देयक के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी है । आवेदक द्वारा विभागीय जानकारी से संतुष्टि व्यक्त की गयी है । आवेदक के निवेदन पर उसे देयक का भुगतान किश्तों में किए जाने की सुविधा प्रदान की गयी है ।

6. यह कि दिनांक 10.03.2026 को उत्तरवादी द्वारा आवेदक के विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को पुनः संयोजित कर दिया गया है ।

7. यह कि आवेदक द्वारा फोरम को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से यह लेख किया गया है कि पूर्व में उनके द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उत्तरवादी द्वारा उसे देयकों से संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कर दी गयी है एवं उसके देयक में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है जिससे वह पूरी तरह से संतुष्ट है । आवेदक द्वारा अपने पत्र के माध्यम से प्रकरण को निराकृत माने जाने का अनुरोध फोरम से किया गया है ।

8. यह कि आवेदक द्वारा अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को प्रेषित पत्र दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा की गयी,

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

देयक के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए देयक संशोधन की कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी है । आवेदक द्वारा किए गए इस लेख के बाद फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

9. आदेश पारित ।

10. प्रकरण निराकृत ।

11. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया । निर्णय घोषित किया गया

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर
(ग्रामीण)